पत्रांक:– 04/NULM- 84/16/.....394...../न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:–

अपर सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत।

पटना, दिनांक....22/2/18.

विषय:– दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के सामाजिक जागरुकता एवं संस्था विकास (SM&ID) घटक के अन्तर्गत निकाय स्तर पर CRPs के चयन हेतु मार्गदर्शिका के प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के SM&ID घटक के अन्तर्गत नगर निकाय स्तर पर DAY-NULM के अर्न्तगत सामाजिक संगठन के गठन एवं Hand-holding Support हेतु CRPs की सेवा लिया जाना है। इस हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति) संलग्न कर सुलभ संदर्भ हेतु भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि मार्गदर्शिका में वर्णित मापदण्ड के अनुसार CRPs का चयन कर शीघ्र सूची विभाग को उपलब्ध कराते हुए उनकी सेवा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

अनु: 1. मार्गदर्शिका हिन्दी प्रति – कुल पेज– 5
2. मार्गदर्शिका अंग्रेजी प्रति – कुल पेज– 3

विश्वासभाजन

21/2/18

अपर सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

manoj304

हिन्दी अनुवाद

सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (Community Resource Person) के चयन से संबंधी दिशा–निर्देश।

पृष्ट भूमि :–

यह समझा जाता है कि स्वयं सहायता समूह को लगातार सहायता की आवश्यकता है और सहयोग की यांत्रिकी इस रूप में हो कि अगर सपोर्ट एजेन्सी को स्वयं सहायता समूह से अलग कर लिया जाता है तो भी स्वयं सहायता समूह द्वारा सामुदायिक स्तर पर चयनित रिर्सोस व्यक्ति के द्वारा स्वयं सहायता समूह चलता रहे। इन सामुदायिक स्तर पर चयनित व्यक्तियों को सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs) के रुप मे जाना जाता हैं। इस तरह के सामर्थ्य प्रणाली के विकास के लिए प्रशिक्षित उप–उद्यमियों की आवश्यकता होती है, जिसे सामाजिक कैपिटल भी कहा जाता हैं।

समुदायिक संगठक/नगर मिशन प्रबन्धक, मुख्य रुप से स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने, स्वयं सहायता समूह के संघों का चुने हुये शहरों में निर्माण एवं विकास करने, के लिए जवाबदेह होंगें। ट्रेनिंग को लागु करना और स्लम में अनवरत सर्पोट और स्वयं सहायता समूह तथा इनके संघों के स्थायित्व के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (Community Resource Persons) की महती आवश्यकता है। और स्वयं सहायता समूह संस्थानों के सामर्थ्य के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (Community Resource Persons) को प्रोन्नत किया जाना चाहिए। समुदाय की सेवा के लिये सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (Community Resource Persons) की आवश्यकता हैं। अतएव, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) का पहचान, चयन, प्रशिक्षण तथा हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट अति आवश्यक है, जिससे स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सहायता समूहों के संघों की गुणवत्ता बरकरार रह सके।

सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) की पहचान एवं चुनाव :–

समुदायिक संगठकों /नगर मिशन प्रबन्धक की यह प्राथमिक जवाबदेही है कि क्षेत्र स्तरीय संगठनों, नगर स्तरीय संगठन और संसाधन संगठन (ROs) की सहायता से सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) का चुनाव करें। प्रायः ऐसा पाया गया है कि स्लम स्तरीय बैठकों में कुछ महिलाऍं जो नेतृत्व करने की क्षमता रखती हो, आगे बढ़कर इस तरह की बैठकों की व्यवस्था, घरों से लोगो को बुलाने, बैठकों के प्रारम्भिक उद्‌देश्यों की चर्चा करती हैं और बैंठकों में लोगों को भाग लेने हेतु प्रेरित करती है। समुदाय में कुछ इस तरह की स्वयं सहायता समूहों के ऐसे लीडरों/सदस्यों, जिनकी समुदाय में अच्छी प्रतिष्ठा है या किसी गैर सरकारी संस्थाओं में उत्प्रेरक के रुप मे कार्य कर चुके हो या कर रही हो।

समुदायिक संगठकों/नगर मिशन प्रबन्धक को ऐसी महिलाओं की प्रारम्भिक सूची क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALOs) की मदद से तैयार करनी चाहिये और उनकी योग्यता का मूल्यांकन समय–समय समुदायिक स्तर पर होने वाले बैठकों में की जा सकती है। समुदायिक संगठकों/नगर मिशन प्रबन्धकों को इनकी योगयता की जाँच उनको दिये जाने वाली कार्य

जिम्मेदारी के अनुरुप करना है। यदि, नगर मिशन प्रबन्धक इनकी योग्यता से संतुष्ट है,तो उन्हें सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (Community Resource Persons) की अवधारणा के बारे में चिन्हित सदस्यों के साथ साक्षा करना है एवं उनका विचार जानना आवश्यक है। तत्पश्चात उस क्षेत्र की अधीन संबंधित क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALOs)/नगर स्तरीय संगठन (CLF) से भी विचार करना होगा।

उक्त Sort Listing की प्रक्रिया के उपरान्त चिन्हित व्यक्तियों की लिखित परीक्षा एवं नगर निकायों के अधिकारियों के साथ साक्षात्कार कर योग्य वयक्तियों का चयन CRPs के रुप में किया जायेगा। चयनित CRPs का समय–समय पर प्रशिक्षण विभिन्न विषयों यथा स्वयं सहायता समूहो की अवधारणा, स्वयं सहायता समूहों का संघों की अवधारणा, दास्तावेजो का रख–रखाव एवं संधारण आदि पर संसांधन संस्थाएँ/मास्टर ट्रेनरों द्वारा किया जायेगा।

सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) को विविध विषयों यथा स्वयं सहायता समूहों का संस्थागत विकास एवं मूल सिद्वांत, बहियों का रख–रखाव एव लेखा, लेखा परीक्षा, ग्रेडिंग वित्तीय साक्षरता, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार प्रबंधन इत्यादि पर विशेष उददेश्यों हेतु तैयार करना है। इस हेतु आवासीय "प्रशिक्षक कार्यक्रमों का प्रशिक्षण" जो 3 से 6 दिनों का हो सकता है, आयोजित कर CRPs को विकास किया जाना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलता पुर्वक संचालन के उपरांत सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) का ग्रेडिंग किया जायेगा और उनकी सेवा लेने हेतु प्रमाणित करते हुए उनकी सेवा ली जायेगी ताकि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच जागरुकता विकसित हो और Hand holding Sport किया जा सके।

(बी) सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs) भूमिकाएं और जिम्मेदारी :–

सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs) समुदाय की सहायता, सदस्य स्तर की शिक्षा, संस्था निर्माण, पुस्तक रखने, लेखाकरण, ग्रेडिंग, लेखा परीक्षा, वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य और स्वच्छता, समुदाय स्वच्छता, परिवार परामर्श के रूप में स्वंय सहायता समूह (SHGs), क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALOs) और नगर स्तरीय संगठन (CLFs) जैसे सामुदायिक संस्थानों को मजबूत करने में सहायता प्रदान करेगी। सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs) की प्रमुख जिम्मेदारियाँ निम्नवत् होगी :–

- नये स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करना तथा मौजूदा स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाना।
- सदस्यों को जागरूक करना और प्रशिक्षण के माध्यम से पंचसूत्र का पालन करने के लिए स्वयं सहायता समूह की सहायता करना।

- स्वयं सहायता समूहों का बैंक क्रेडिट लिंकेज संबंधी दस्तावेज तैयार करना एवं बैंक लिंकेज कराने में सहयोग करना।
- सामुदायिक संगठन (COs) और संसाधन संगठनों (ROs) के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह की प्रोफाइलिंग, ग्रेडिंग और सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करना ।
- स्वयं सहायता समूहों के बीच मतभेद को दूर करना।
- क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALO) और नगर स्तरीय संगठन (CLF) सदस्यों की शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी करने में सहयोग।
- क्षेत्र/नगर स्तरीय संगठन (CLF) के वही–खाता का रख–रखाव और कार्यवाही लिखने का कार्य करना।
- सामाजिक मुद्दों पर सदस्य को जागरूक करना।
- स्वयं सहायता समूह का हैण्डहोल्डिंग सहयोग करना।
- सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) को सामुदायिक उत्प्रेरक या सामुदायिक सहायताकर्ता या प्रशिक्षक के रुप में प्राथमिकता दी जायेगी, यादि किसी बाहरी संस्था को संसाधन संगठन के रुप में चयनित किया जाता है।

(सी) पात्रता की शर्तें :–

- कम से कम एक वर्ष तक समूह का सक्रिय सदस्य हो।
- स्वयं सहायता समूह में पदाधिकारी के रुप में काम किया होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता कम से कम मैट्रिक उत्तीर्ण हों।
- ऋण चुककर्ता (Loan Defaulter) नहीं होना चाहिए।
- समुदाय को सेवा देने तथा दूसरे शहरों में आने जाने के लिए तैयार हो।
- उम्र 20 वर्ष से ऊपर और 55 वर्ष से कम हो।

(डी) चयन की प्रक्रिया :–

1. क्षेत्र स्तरीय संगठन/नगर स्तरीय संगठन पात्रता मापदण्डों के अनुसार 3 से 4 संभावित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा।
2. सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs) के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन तीन सदस्यीय समिति ((i) अध्यक्ष, (ii) सचिव, क्षेत्र स्तरीय संगठन/नगर स्तरीय संध (CLF के मामले में) (iii) नगर मिशन प्रबन्धक या संसाधन संगठन के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर) करेगें।
3. पहचान और चयनित उम्मीदवारों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सभी चर्चा और निर्णय क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALO) की बैठकों या नगर स्तरीय संघ (CLF) की बैठक में दर्ज किया जाना चाहिए।

4. चयनित सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs) की सूची ए0एल0एफ0 की बैठक की कार्यवाही के साथ नगर निकाय को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।
5. सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs) की संख्या 10 से 15 स्वयं सहायता समूह के प्रबन्धन और नगर स्तरीय संघ (CLF) के प्रबन्धन के साथ 4 से 5 क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALO) के प्रबन्धन के लिए आवश्यकतानुसार लगेगी।

(ई) भुगतान और भत्ता :– सी0आर0पी0 को निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित दरों के अनुसार शुल्क और भत्ता दिये जायेगें :–

क्र0 सं0	सेवा क्षेत्र	प्रति दिन भत्ता (रू0 में)	भोजन भत्ता / प्रति दिन (रू0 में)	कुल (रू0)	संस्थागत शुल्क (@10%)/ दिन/ सी0आर0पी0	कुल भुगतान (रू0 में)
1	नगर निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत	160.00	100.00	260.00	16.00	244.00
2	जिला अंतर्गत दूसरे नगर निकाय में	240.00	100.00	340.00	24.00	316.00
3	जिले के बाहर दूसरे नगर निकायों में	320.00	100.00	420.00	32.00	388.00

नोट :– उन सभी सम्बन्धित ALO/CLF को संस्थागत शुल्क का भुगतान किया जायेगा, जिनके क्षेत्र से सी0आर0पी0 अपनी सेवाएं प्रदान करने आये है।

प्रत्येक सी0आर0पी0 को उनके कार्य समाप्ति के बाद, सी0आर0पी0 को सीधे नगद के रुप में या चेक के माध्यम से ALO/CLF के द्वारा CRP द्वारा समर्पित कार्य प्रतिवेदन का जॉचोंपरांत शुल्क और भोजन भत्ता का भुगतान करेगें। समिति के सदस्य सी0आर0पी0 द्वारा किए गए कार्य के बारे में चर्चा करेंगे और उनका आकंलन और सी0आर0पी0 के भुगतान के लिए प्रस्ताव पारित करेगें और ALO/CLF के बैठक में ही भुगतान करेंगे। भुगतान के लिए उचित रसीद ली जायेगी और इसे कार्यवाही रजिस्टर में भी दर्ज किया जाना चाहिए।

शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा अनिवार्य रूप से अनुमोदित CRP की संख्या के विरुद्व संबन्धित क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALO) के खाते में अग्रिम राशि के रूप में मानदेय की त्रैमासिक राशि को स्थानांतरित करना होगा।

******__*****

हिन्दी अनुवाद

अनुलग्नक–1– सामुदायिक संसाधन व्यक्ति की सूची

क0 सं0	नगर निकाय का नाम	उम्मीदवार कानाम	पिता/पति का नाम	सम्पर्क नं0	आधार नम्बर	पता	उम्र	शैक्षिक योग्यता	कार्य योग्यता ;एस0एच0जी0 गठनए समुदायिक जागरूकता	विशेष श्रेणी (विधवा निषिद्ध आदि–)	स्वयं सहायता समूह के	कितनी देर वह उस स्वयं सहायता समूह का सदस्य है	पद	स्वयं सहायता समूह की उम्र	स्वयं सहायता समूह की ग्रड	टिप्पणी
1																

Policy on Selection of Community Resource Persons (CRPs)

Background:

It is understood that SHG needs continuous support and the mechanism of support be established in such a way that after withdrawal of support agency the groups continue to work in the area with resource persons selected from the community with support of SHG. These paraprofessional are called Community Resource Person (CRP). To establish a support system it requires well trained para-professionals as continuous support mechanism at the community level which is called 'Social Capital'.

The Community Organisers/ CMMs would be responsible for strengthen the SHGs, financial leverage to SHGs, training to group leaders, promotion of SHG federation in selected town through coordinating with the local NGO, which is already working for the programme. To impart training and to provide continuous support in the slums and ensure the sustainability among the SHGs and SHG federations, Community Resources Persons (CRPs) would be essential and must be promoted to support the SHG institutions. CRPs are very crucial in providing the services for the community level. Therefore identification, selection, training and handholding support to CRPs will be necessary to ensure quality of SHGs and SHG federations in ULBs.

Process of identification and selection of Community Resource Persons (CRPs):

The identification of CRP is the primary responsibility of Community Organisers/ CMMs with the support of ALOs / CLF/ Resource Organisation. Most often it is observed that in slum level meetings some of women showing leadership ability in organising meetings, calling people from houses, discussing about the preliminary purpose of meetings and participating in meetings. There might be few SHG leaders/members which are having a good reputation in the community and have been engaged in the program as a facilitator under NGO.

Community Organisers / CMMs need to keep a preliminary list of such women with consultation of Area Level Organisations from and verify their qualities in the meetings whenever they have meetings. The Community Organisers/ CMMs have to check the qualities to meet the job description of CRP. If the CMM is satisfied with the qualities, they have to discuss about the CRP concept and take consent with the identified members and also in ALOs/CLF of same area for more clarity. After completion of the process of short listing, the Community Organisers/ CMMs will conduct a written testand interview with ULB officials for final selection of the CRPs. Staff of Resource Organisation/ Master trainers will provide trainings on SHG Concept, SHG federation concept, book keeping in the first phase to engage them to support at field.

CRPs are promoted on variety of subjects based on specific purposes: i.e. basic concepts of SHG Institutions, book keeping & Accounting, auditing, grading, financial literacy, livelihoods, health, education, sanitation, marketing, family counselling etc. The training programmes are designed for three to six days residential 'Training of Trainers programmes' based on the need of subjects to promote CRPs. After successful completion of the training programme the CRPs are graded and will be certified to take up the services. In turn the CRPs have placed and utilised the services to create awareness among the SHG members and provide hand holding support with hands on experience.

(b) Roles and responsibility of Community Resource Person:

CRPs will provide support in strengthening community institutions like SHGs, ALOs and CLFs in the form of community awareness, member level education, institution building, book keeping, accounting, grading, auditing, financial literacy, health & hygiene, community sanitation, family counselling, etc. Major responsibilities of the CRPs would be:

1. Formation of new as well as strengthening of existing SHGs.
2. Help SHGs to follow PANCHSUTRA through member's awareness and training.
3. Documentation and facilitation support for bank linkage of SHGs
4. SHG's profiling, Grading and micro credit plan preparation with support from COs and Resource Organizations.
5. Conflict resolution within and between two SHGs
6. Member's education on ALO/CLF.
7. Book keeping and minute writing of CLF.
8. Mobilization of members on social issues.
9. Handholding support to SHGs.
10. In case of engagement of external agency as Resource Organisations, these CRPs shall be given priority for the position of Community Mobilisers or Community Facilitators or Trainers.

(c)Eligibility criteria:

- Active member of SHGs at least for a year.
- Should be an office bear of the existing SHG.
- Educational qualification should be at least Matric.
- Should not be a loan defaulter.
- Sincere to community service and ready to visit to other ULBs.
- Age between 20 to 55 years.

(d) Selection process:

- Area Level Organization / CLF will prepare a list of 3-4 potential candidates, as per eligibility criteria.
- A committee comprising of 3 members (President, Secretary of ALO/ CLF (in case of CLF), City Mission Manager or representatives of Resource Organization) will select the eligible candidates for CRPs.
- All discussion and decision regarding process of identification and selected candidates should be duly recorded in the minutes of ALO's meetings or CLF's meeting as the case may be.
- The list of selected CRPs will be sent to ULBs for its approval along with Minutes of ALO's meeting.
- No. of CRPs will be engaged as per requirement for management of the 10-15 SHGs& Management of 4-5 ALOs along with Management of CLF.

(e) Payment and Allowance: The CRP will be given different charges and fees accordingly to the rates mentioned in the below matrix:

Sl. No	**Service Area**	**Per day Allowance (INR)**	**Boarding /day (INR)**	**Total (INR)**	**Institutional fee (@10%)/ day/ CRP**	**Net Payment (INR)**
1	Within area of base location	160.00	100.00	260.00	16.00	244.00
2	Nearest ULB within the district	240.00	100.00	340.00	24.00	316.00
3	Nearest ULB outside the district	320.00	100.00	420.00	32.00	388.00

Note: Institutional charges will be paid to all concerned ALOs/CLFs from which area CRPs have come to render their services

After the end of each CRP round, fees and food charges will be paid to the CRP directly in cash or by cheque by the ALO/ CLF after obtaining the work done report. In ALO/CLF meeting, committee members will discuss and assess the work done by the CRPs and pass the resolution for payment to CRPs and will make the payment in the ALO/CLF meeting itself. Proper receipt for the payments will be taken and it should be recorded in the minute book also.

It is mandatory for Urban Local Body to transfer the quarterly amount of honorarium as an advance to respective ALO's Account against the approved no. of CRPs to be engaged.

******__******

Annexure- 1- List of Community Resource Person

SL. N0.	Name of ULBs	Name of the candidate	Father/Husband Name	Contact No	Aadhar Number	Address	Age	Educational Qualification	Work Experience (SHG formation, Community mobilization	Special Category (widow, Destitute etc.)	Member of SHGs	How long she is member of that SHG	Designation	Age of the SHG	Grade of SHG	Remarks
1																